देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/mmp/31 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 8 सितम्बर 2022

अपने दृढ़ इरादों,शुद्ध मंशा और पारदर्शी फैसलों के चलते जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी का बुलडोजर कर रहा भूमाफियाओ और अवैध निर्माण कर्ताओ के हौसले पस्त!!

भाग-1

ताबड़तोड़ अवैध इमारतों को सील कर,

और बिना अनुमति कृषि भूमियों पर बसाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त कर सैनी ने हासिल किया यह मुकाम!!!

जेडीए के ज़ोन-7 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या B – 215,वैशाली नगर पर बन रही 7 मंजिला अवैध बिल्डिंग को किया सील|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

मात्र 4 महीनों मे ही भूखंड संख्या ब-215,वैशालीनगर पर खड़ी कर दी गई थी 7 मंजिला अवैध इमारत

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक 08.09.2022

:- प्रेस विज्ञप्ति :-

जोन–07, 06, 12	जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बने व्यावसायिक निर्माणाधीन 03 गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध बिल्डिग की उनके पूर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधियों/रहवास प्रारम्भ हो जाने की सम्भावनाओ दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बने व्यावसायिक निर्माणाधीन 03 गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध बिल्डिग की उनके पूर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधियों/रहवास प्रारम्भ हो जाने की सम्भावनाओ दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गयी:–

1. जोन–07

प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 08.09.2022 को जोन–07 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित वैशाली नगर जयपुर के भूखण्ड संख्या बी–215 में क्षेत्रफल करीब 216 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबेक पर बेसमेंन्ट + 5 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण करना अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 28.08.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया और ना ही नियमन योग्य निर्माण के नियमादि की कार्यवाही की गयी; उक्त अवैध निर्माण के संबंध में तकनिकी व राजस्व टीम से अतिक्रमण प्रफोर्मा रिपोर्ट प्राप्त कर समस्त दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त निर्माणाधीन वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियों संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 07.09.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 08.09.2022 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को ईटों की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय–खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी।

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन–07 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

2. जोन–06

प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 08.09.2022 को जोन–06 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित मुरलीपुरा थाने के सामने व रामा टेलीकॉम के सामने मुख्य रोड़ पर प्लाट नं.–07 शंकर नगर में क्षेत्रफल करीब 333.33 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबेक पर बेसमेंन्ट + 04 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया जाना अवधान में आने पर दिनांक 08.05.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने व आगे अवैध निर्माण नही होने देने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया व आगे अवैध निर्माण जारी रखने व निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियों संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 07.09.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 08.09.2022 को उक्त वृहद अवैध निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों इत्यादि को ईटों की दीवारो से चुनवाकर, गेट पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय–खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है|पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है|पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है|

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन–06, 13 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

3. जोन–12

गैर अनुमोदित योजना अंशिका विहार में सेटबैक एवं बिल्डिंग बॉयलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने 10 विलाजों को सीलिंग की कार्यवाही की गई। :–

प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांक 08.09.2022 को जोन–12 के क्षेत्राधिकार में सिरसी रोड़, सिवार मोंड़ पर अवस्थित गैर अनुमोदित योजना अंशिका विहार में जविप्रा की बिना अनुमति स्वीकृति के भूखण्ड संख्या 63 से 72 तक में बिल्डर द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ कुल 10 अवैध विलाजों का अवैध निर्माण किया जाने पर दिनांक 06.07.2022 को धारा 32,33 जेडीए अधिनियम 1982 के तहत नोटिस जारी किये जाकर इस गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण को रूकवाया जाकर अवैध निर्माण को हटाने पाबंद किया गया आगे अवैध निर्माण नही होने देने हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। प्रकरण में निर्माणकर्ता द्वारा अपीलीय अधिकरण, जविप्रा में दायर अपील में दिये आदेश की अनुपालना में विधिक प्रकिया अपनाकर उक्त अवैध 10 अवैध विलाजो में रहवास की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 07.09.2022 जेडीए अधिनियम की धारा 34(क) के नोटिस जारी कर कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनाये गये उक्त 10 अवैध विलाजों के प्रवेश द्वारो, गेटो पर ताले व सील चपडी लगाकर जविप्रा की इंजिनियरिगं शाखा की मदद से नियमानुसार आज दिनांक 08.09.2022 को नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। संबंधित से जेडीए की सीलिंग की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा–वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन–12, 08 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

इस प्रकार के गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध बिल्डिंग–फ्लेट्स/कॉमर्शियल बिल्डिग के अवैध निर्माणों के मामलो में "Zero Tolerance" की नीति के तहत अविलंब प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाती हैं। फलतः वर्तमान में गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माणों पर प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ है।

जनवरी 2019 से अब तक कुल 121 गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध बिल्डिगो की नियमानुसार पुख्ता सीलिग की कार्यवाहियों की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, अपीलीय न्यायालय जविप्रा के आदेशो की पालना में विहित प्रावधानो में निर्धारित प्रकियानुसार उक्त अवधि में 08 सील बिल्डिगो को सील मुक्त किय गया।

संलग्नः–फोटोग्राफस्/विडियो।

8/9/2022
(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक–प्रवर्तन

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है|पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है|पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है|